न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 90 / 2024

प्रार्थी :–
गणेशराम पुत्र स्व श्री रूपाराम जाति खारडिया सीरवी निवासी सोलंकियों का अरठ बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री गिरधारीलाल कंसारा अधिवक्ता
अप्रार्थी सरकारी पैरोकार

निर्णय दिनांक :– 7/10/24

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा बिलाडा चक 3 पटवार क्षेत्र बिलाडा चक 3 भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता सं. 1091 खसरा नंबर 4498 रकबा 0.5339 हैक्टयर किस्म चाही द्वितीय कृषि भूमि स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा है। प्रार्थी अपने 1/6 हिस्से की भूमि पर बतौर कब्जा काश्त व खातेदारी के काबिज चला आ रहा है, जिस पर प्रार्थी के अलावा अन्य किसी का कोई हक हिस्सा नहीं है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित खाता व खसरान भूमि के राजस्व रेकर्ड में हल्का पटवारी द्वारा सेव से, भूलवश या त्रुटिवश प्रार्थी के सही नाम गणेशराम के स्थान पर प्रार्थी का नाम गुनेश नाम दर्ज कर दिया गया है। जिससे सबूत में जमाबंदी संवत 2076 से 2079 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर प्रार्थी गणेशराम की ओर से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित खाता व खसरे की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दूरस्ती की जाकर प्रार्थी का नाम गुनेशराम से हटाकर गणेशराम दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी को सम्मन बाद तामिल पेश हुए। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाडा चक नं 3 के खसरा नंबर 4498 रकबा 0.5339 हैक्टयर किस्म चा.प्रथम आया हुआ है। उक्त भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा स्थित है। जिस पर वादी का कब्जा है। प्रार्थी का पहली बार राजस्व रेकर्ड में नाम नामा.सं. 8796 जरिये विरासत नामा. गुणेशराम पुत्र रूपाराम दर्ज हुआ, जबकि वास्तविक नाम

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

गणेशराम है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सरकारी/निजी दस्तावेज, आधारकार्ड, पहचान पत्र, विद्युत बिल एवं पंजीबद्ध बैचाननामा इत्यादि प्रस्तुत कर अपना नाम गणेशराम होना बताया। गुणेशराम एवं गणेशराम दोनों एक ही व्यक्ति है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हल्का पटवारी रिपोर्ट एंव प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सरकारी/निजी दस्तावेज के आधार पर ग्राम बिलाडा चक 3 के खसरा नंबर 4498 रकबा 0.5339 हैक्टयर किस्म बा.प्रथम में दर्ज गलत इन्द्राज गुणेशराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर गणेशराम पुत्र रूपाराम किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यो को दोहराया और दुरूस्ती किये जाने पर सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में खसरा नं. 4498 रकबा 0.5339 हैक्टयर में प्रार्थी गुणेशराम पुत्र रूपाराम के नाम से खातेंदारी में दर्ज है। ऑनलाईन जमाबंदी चौसाला 2076 से 2079 तैयार करते समय लिपिकीय भूलवश प्रार्थी का नाम गणेशराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर गलत गुणेशराम पुत्र रूपाराम दर्ज कर दी गई। इसलिए उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम बिलाडा चक 3 तहसील बिलाडा के खसरा नम्बर 4498 रकबा 0.5339 हेक्टयर में जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में दुरूस्ती की जाकर प्रार्थी का नाम गुणेशराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर सही नाम गणेशराम पुत्र रूपाराम दर्ज किये जाये एवं तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरें। पत्रावली फैसललशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 7/1/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा